Sampreshan
UGC CARE GROUP 1
https://sampreshan.info/
Vol. 17, Issue No. 2, June 2024
ISSN: 2347-2979

मध्यप्रदेश में पंचायती राज और ग्रामीण विकास

प्रस्तुतकर्ता
डॉ महेंद्र कुमार सिरोही
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय रहट्गाव जिला हरदा म.प्र.

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था

पंचायतों द्वारा क्रियान्वित योजनाएं

पंचायतों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयनमेंबाधाएं

पंचायत राज और ग्रामीण विकास

निष्कर्ष

प्रस्तावना :

लोकतंत्र केसंचालन के लिएलोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है ।संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है इस विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र तथा विकास दोनों ही सुचारू रूप से क्रियान्वित होते हैं ।इसी प्रकार स्थानीय शासन के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरणनीचे के स्तर पर किया जाता है और विकास प्रशासन के अंतिम बिंदु तक प्रसारित होता है इससे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकासअंतिम पायदान तक होता है ।

लोकतंत्रकेवल सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा ही सफल नहीं होता लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक संपन्नता शैक्षणिक स्तर सामाजिक स्तर में समानता भी आवश्यक है ।भारत पर विभिन्न

ISSN: 2347-2979

आक्रमणकारियों द्वारा भारत की ग्रामीण लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और विभिन्न प्रकार की शोषणकारी शक्तियों ने जन्म लिया ।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास किए गए भारत के विशाल भूभाग और विशाल जनसंख्या तथा विभिनता को देखते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक हैइन्हीं सब परिस्थितियों का आकलन करने के बाद भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जरिए स्थानीय स्वशासन को विकसित किया गया तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से इन संस्थाओं को प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज्य वह माध्यम है जोशासन को सामान्यजनतकले जाता हैलोकतंत्र को यथार्थ में मजबूती प्रदान करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम है।पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय कार्यों कोपंचायतों के माध्यम से बहुत आसानी से तथा आवश्यकता अनुसार विकास कार्यों को तथा प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है इससे लोगों को स्थानीय शासन में भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी तथा भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकेगा एवं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण वास्तविक रुप से सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

मध्य प्रदेश , भारत का प्रथम राज्य था जिसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से क्रियान्वित किया और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 73 वे व74 वे संविधान संशोधन लागू किया।मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है ।

स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था-

26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ क्योंकि संविधान में स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था तथा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों को इस ढंग से संगठित करें ताकि वह स्थानीय स्वशासन की इकाइयां के रूप में कार्य कर सकें ।

ISSN: 2347-2979

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार वास्तविक रूप में धरातल पर लाया जाए इसके लिए काफी प्रयास किए गए और विभिन्न सफल और असफल प्रयोग के बाद वर्तमान स्वरूप हमारे सामने हैं। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद पंचायती राज व्यवस्था कोकाफी आघात लगा इन सब असफलताओं को पार करते हुए पंचायती राज व्यवस्था हमारे सामने हैं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया लेकिन यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से असफल रहा ।बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुईइस समिति नेअपने प्रतिवेदन में यह बताया कि स्थानीय शासन में स्थानीय नेतृत्व और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ।इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत मध्य स्तर पर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद।मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से स्थानीय शासन का श्रीगणेश हुआ ।

अशोक मेहता समिति1977 में गठित की गई स्थानीय शासन की असफलता के बादकिस समिति का गठन किया गया इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।समिति ने दो स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना कीइस समिति नेदल स्तर पर निर्वाचन की कल्पना की ।

अशोक मेहता समिति के बाद 1978 से 1989 तक विभिन्न प्रयास किए गए इसमें जिला योजना पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट 1984 ,जीवीके राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986,। इसमें राव समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की ।1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64 वा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया लेकिन यह पारित नहीं हो सका ।

16 दिसंबर 1992 को 72 वा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद इस बिल का क्रमांक 73 वा कर दिया गया जिसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित कर दिया ।17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे 24 अप्रैल 1993 से क्रियान्वित कर दिया गया ।

Sampreshan
UGC CARE GROUP 1
https://sampreshan.info/
ISSN: 2347-2979
Vol. 17, Issue No. 2, June 2024

मध्यप्रदेश मेंपंचायती राज व्यवस्था-

1 नवंबर 1956 पूर्व में भी मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था विद्वान थी किंतु यह अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग रूप से क्रियान्वित थी ।पुनर्गठन की पश्चात समय-समय पर केंद्र सरकार के निर्देशो केअनुसार मध्यप्रदेश में भी पंचायती राज को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए गए।

मध्य प्रदेश राज्य की पुनर्गठन के समय मध्यप्रदेश में 63175 ग्रामों में 12533 ग्राम पंचायत 1876 न्याय पंचायत 107 केंद्र पंचायत 2 तहसील पंचायत 16 मंडल पंचायत 57 आदिम जाति पंचायतें 17 परगना पंचायत थी।

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियमबलवंत राय मेहता की सिफारिशों के अनुरूप मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 बनाया गया इसे 23 जुलाई 1962 को लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तहसील स्तर पर जनपद पंचायत और प्रत्येक जिले में जिला पंचायतों की स्थापना की गई। इस प्रावधान में महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में निर्वाचन या मनोनयन की व्यवस्था की गई।

1962 के अधिनियम उस प्रकार सफल नहीं हो पाया जैसी की कल्पना की गई थी इसलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 लाया गया। इस अधिनियम में भी बहुत सारी कमियां थी इसलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1988 लाया गया। 1990 में तत्कालीन जनता सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

73 वा् संविधान संशोधन पूरे देश में 29 अप्रैल 1993 को लागू किया गया तथा सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर इसी कानून बनाने के लिए कहा गया। मध्यप्रदेश में 24 जनवरी 1994 को इसके परिपालन में अधिनियम बनाया गया जिसका नाम मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 रखा गया इसमें कुल 15 अध्याय हैं।

ISSN: 2347-2979

73 वा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए जिसमें 15उप-अनुच्छेदहै। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है।

1. ग्रामसभा एक ऐसा निकाय होगा जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। ग्रामसभा राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य को संपन्न करेगी।
2. प्रत्येक राज्य की ग्राम मध्यवर्ती वह जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा
3. राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जाएगा।
4. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होगी। यह सीटें पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाएगी यह सीटें एक पंचायत में चक्र अनुक्रम से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जाएगी।
5. प्रत्येक पंचायत की कार्यविधि 5 वर्ष होगी यदि पंचायत 5 वर्ष पूर्व ही भंग कर दी जाती है तो 6 माह की अवधि में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
6. राज्य विधान मंडल विधि द्वारा ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जो कि उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्यरत बना सके जिनसे पंचायतें आर्थिक विकास में सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार कर सके एवं 11वीं अनुसूची में समाहित विषय सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को क्रियान्वित कर सके।
7. राज्य विधान मंडल पंचायतों को निर्दिष्ट कर शुल्क चुंगी एवं फीस लगाने एवं संग्रहित करने के लिए अधिकृत करेगा संबंधित राज्य सरकार की आकाशमिक निधि से पंचायत को पर्याप्त सहायता एवं अनुदान देगी।
8. राज्यों के राज्यपाल इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे और समुचित सिफारिशों के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे।
9. राज्य विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा खाते तैयार करने तथा इन खातों की लेखा परीक्षा संबंधी प्रावधानों का निर्माण करेगा।

ISSN: 2347-2979

10. राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त से संचित राज्य चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियों को तैयार करने में अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण रखेगा तथा वही पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करवाएगा।
11. यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 243 (जी)द्वारा एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ता है जिसमें अग्रे लिखित 29 विषय हैं।

    1. कृषि प्रसार सहित कृषि 2. भू सुधार एवं मृदा संरक्षण 3. लघु सिंचाई जल प्रबंध एवं जल संभर विकास 4. पशुपालन दुग्ध शाला एवं मुर्गी पालन 5. मत्स्य पालन 6. सामाजिक वानिकी एवं फार्म वाणी की 7. लघु वन उत्पाद 8. खाद्य संसाधन उपयोगों सहित लघु उद्योग 9. खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग 10. ग्रामीण आवास 11. पेयजल 12. ईंधन 13. सड़के पुलिया से तू घाट जल मार्ग एवं संचार के अन्य साधन 14. विद्युत वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण 15. ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत 16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 17. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा 18. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा 19.प्रोड एवं अनौपचारिक शिक्षा 20. पुस्तकालय 21. बाजार एवं मेले 22. सांस्कृतिक क्रियाकलाप 23. प्राथमिक चिकित्सा केंद्र एवं उपचार केंद्र सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 24. परिवार कल्याण 25. महिला एवं बाल विकास 26. सामाजिक कल्याण 27. कमजोर वर्गों का कल्याण विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण 28. जल वितरण व्यवस्था 29. सामुदायिक संपत्ति का अनुरक्षण

इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा मृतप्राय पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया और पंचायतों की गठन में एकरूपता आएगी।मध्यप्रदेश में इस अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतक्रियान्वयन की भूमिका निभाएगी तथा जिला पंचायत समन्वयक की भूमिका निभाएगी ग्राम पंचायत ग्राउंड लेवल पर मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन में इसकी सदस्य संख्या 10 व अधिकतम 20 हो सकती है। 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1 ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 23012ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में सरपंच पंच उपसरपंचपद महत्वपूर्ण होते हैं। पंचायत सचिव

ISSN: 2347-2979

नियुक्त शासकीय कर्मचारी होता है। 1 सहायक सचिव की व्यवस्था भी है। सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से एवं उपसरपंच अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। राइट टू रिकॉल मैं सरपंच निर्वाचित होने के 2 वर्ष बाद दो तिहाई बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है।

जनपद पंचायत मैं न्यूनतम सदस्य संख्या 10 एवं अधिकतम 25 हो सकती है। वर्तमान मध्यप्रदेश में 313 जनपद पंचायत हैं। यह मध्य स्तर है जिसका गठन विकासखंड पर होता है। 5000 से अधिक आबादी वाले विकासखंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है। जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों में से होता है।

जिला पंचायत मैं न्यूनतम सदस्य संख्या 10 अधिकतम 35 हो सकती है। वर्तमान मध्यप्रदेश में 51 जिला पंचायत हैं। 50,000 या अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जा सकता है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एवं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।इसमेंपदेन सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के अध्यक्ष विधायक व सांसद होते हैं कलेक्टर भी पदेन सदस्य होता है। कार्यकारी अधिकारी एक आईएएस होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के साथ ही पंचायत राज अधिनियम को क्रियान्वित किया गया दिग्विजय सिंह की सरकार में नवोदित ग्राम स्वराज अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण चरण है 26 जनवरी 2001 से मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया गया इस व्यवस्था के तहत पंचायत राज में व्याप्त दोषों को दूर किया गया। मध्यप्रदेश में ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई। 1 अप्रैल 1999 कोविक्रमादित्य और महाकाल की नगरी उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में जिला सरकार की औपचारिक घोषणा की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में यह एक नया प्रयोग था। 74 वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य जिला योजना समिति का गठन करेगा इसी प्रावधान के तहत 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम बनाया गया और इसी अधिनियम के तहत कुछ संशोधनों के साथ जिला सरकार की कल्पना की गई।

ISSN: 2347-2979

मध्यप्रदेश में स्थानीय शासन को सफल बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तथा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया जिसके माध्यम से स्थानीय शासन का संचालन सुचारू रूप से किया जा ससके

पंचायतों पर नियंत्रण की व्यवस्था भी की गई राज्य सरकार की प्राधिकृत अधिकारी नियत किए गए प्रतिबंधों के अधीनस्थ रहते हुए पंचायत की कार्यवाहीयों का निरीक्षण कर सकेंगे।इसी तरह प्राधिकृत अधिकारी पंचायतों का निरीक्षण करने के लिए नियत की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे पंचायत के पदाधिकारी सेवक और अधिकारी ऐसी समस्त जानकारी देने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो निरीक्षण प्राधिकरण अधिकारी मांगेंगे उन्हें प्रदान की जाए। राज्य सरकार लिखित आदेश के द्वारा पंचायतों की किसी आदेश को निलंबित कर सकेगी जो पंचायती राज अधिनियम के परे जाकर एवं विधि के प्रतिकूल जाकर बनाया गया हो या आदेश दिया गया हो। राज्य सरकार लिखित आदेश के माध्यम से किसी पंचायतों को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे किसी कार्य को निष्पादित करें जिसका निष्पादन राज्य सरकार की राय में लोकहित में आवश्यक है पंचायतें ऐसे आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि पंचायत इस अधिनियम द्वारा अथवा किसी अन्य विधि के अधीन उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में बार-बार अवरोध उत्पन्न करती है अपनी शक्ति से परे कार्य करती है अथवा सक्षम प्राधिकारी की किसी आदेश का पालन नहीं करती है तो राज्य सरकार या संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण ऐसी जांच करने के पश्चात यदि उचित समझे तो पंचायतों को विघटित कर सकेगा एवं उसे नए सिरे से गठन काआदेश दे सकेगा पंचायतों के विघटन की स्थिति में या कालावधी में पंचायतों की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्ति व्यक्ति अथवा सेवाओं के लिए संबंधित पंचायत निधि को प्राप्त कर सकेगा विघटन की स्थिति में इसका पुनर्गठन 6 माह के भीतर किया जाएगा।

शिवराज सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में कुछ संशोधनों को समय-समय पर लाया गया है जिसे वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों मेंपेसा कानून अवधारणा को लाया गया है जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों को और वहां की ग्राम पंचायतों को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं।

ISSN: 2347-2979

इस प्रकार मध्यप्रदेश में पंचायती राज प्रणाली विभिन्न सोपानोंको पार करते हुए वर्तमान स्वरूप में कार्य कर रही है ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 लागू होने के बाद मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो इसे संवैधानिक रूप से लागू किया और सफल क्रियान्वित किया।

पंचायतों द्वारा क्रियान्वित योजनाएं -

मध्यप्रदेश में पंचायतों द्वारा तीनों स्तर पर विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिकएवं शैक्षणिक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। पूर्व में इंदिरा आवास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आवास अनुदान योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बालिका समृद्धि योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आयुष्मति योजनाइत्यादि।

वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना जल वितरण योजना लाडली लक्ष्मी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्वच्छता योजना मनेरगा संबल योजना आवास योजना पेंशन योजनाआयुष्मान कार्डखाद्य वितरण योजनाप्रसूति योजनापंच परमेश्वर योजना सामुदायिक शौचालय योजना जाबालियोजना तीर्थ दर्शन योजनामुख्यमंत्री कन्यादान योजना दीनदयाल योजना गांव की बेटी योजना गांव की खेती से संबंधित योजनाएं प्रतिभा किरण योजना सौभाग्यवती योजना मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना इंद्रधनुष योजना सौभाग्यवती कल्याण योजना मेधावी छात्र योजना इत्यादि बहुत सी योजनाएं मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित हो रही है।

पंचायतों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं-

मध्यप्रदेश में स्थानीय शासन यह सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं शिक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वयन का मुख्य कारण स्थानीय समस्याएं स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा स्थाई रूप से सुलझाए जा सकती है।

ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है इन बाधाओं में प्रशासनिक शैक्षणिक आर्थिक एवं राजनीतिक बाधाएं प्रमुख हे। बाधाओं के कारण ग्राम पंचायत की

ISSN: 2347-2979

कार्यप्रणाली एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में रुकावट आती है तथा योजनाओं का उद्देश्य पूर्व नहीं हो पाता है।

प्रशासनिक बाधाएं किस प्रकार ग्राम पंचायत को योजनाओं के क्रियान्वयन में रुकावटें पैदा करती है प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार कार्यक्रमों एवं हितग्राहियों को प्रभावित करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक बाधा जोकि एक मुख्य बाधा के रूप में सामने आई है। प्रशासन जिसका कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है लेकिन वही प्रशासन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। ग्रामीण जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी लालफीताशाही से ग्रसित कार्यप्रणाली में उलझा देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए रिश्वत लेते हैं पूर्व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

राजनीतिक बाधा योजनाओं के क्रियान्वयन में एक जटिल समस्या के रूप में सामने आ रही है जनप्रतिनिधि समाज सेवा की विपरीत स्वयं की सेवा में लग जाते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी राजनीति होती है चुनाव के दौरान समर्थन या विरोध करने के आधार पर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। जाति और धर्म के आधार पर भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। जनप्रतिनिधि भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं।

ग्रामीण और पिछड़े इलाके मैं विशेषकर आदिवासी बहुल इलाकों में योजनाओं के क्रियान्वयन में शैक्षणिक रुकावट एक मुख्य समस्या है। ग्रामीणों की अशिक्षा जनप्रतिनिधियों की अशिक्षा और योजनाओं की सही जानकारी ना होना इसके क्रियान्वयन में विशेष बाधा उत्पन्न करती है। ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों की अशिक्षाका स्थिति का लाभ प्रशासनिक अधिकारी उठाते हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक समस्या भी एक मुख्य समस्या है स्थानीय स्तर पर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जो आर्थिक सुविधाएं स्थानीय स्वशासन को उपलब्ध करानी होती है वह शासन के द्वारा नहीं कराई जाती है योजनाएं कागज पर तो रहती है लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण वह मूर्त रूप नहीं ले पाता है।

ISSN: 2347-2979

पंचायत राज और ग्रामीण विकास-

ग्रामीण विकास एक व्यापक अवधारणा है। मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एवं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद ग्रामीण विकास धीरे-धीरे मूर्त रूप लेने लगा। प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के प्रयास किए गए। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के प्रयास किए गए। लेकिन वह परिणाम जिसकी अपेक्षाएं नीति निर्धारकों ने सोची थी वह परिणाम प्राप्त नहीं हो सके अधिकतर योजनाएं प्रशासनिक लालफीताशाही राजनीति एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और ग्रामीण विकास की अवधारणा अधूरी रह गई।

1993 में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक एवं वित्तीय रूप से सक्षम बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त आयोग के द्वारा इन्हें सक्षम बनाया गया। राज्य मेंतीन स्तरीय स्थानीय संस्थाओंमें निर्वाचन के द्वारा स्थानी जनमानस स्थानीय प्रतिनिधि चयनित होकर आए एवं उन्होंने ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान की। ग्रामीण विकास तीन स्तर पर होता है सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर।

राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर स्थानीय संस्थाओं में स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वउत्पन्न हुआ जिसमें महिला एवं पुरुष नेतृत्व एससी एसटी ओबीसी में स्थानीय नेतृत्व प्रमुख है। सामाजिक स्तर पर लोगों में अपने राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों को लेकर जागरूकता उत्पन्न हुई और सामाजिक विकास की अवधारणा को एक दिशा मिली।

आर्थिक विकास में स्थानीय संस्थाओं के द्वारा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर कार्य करना उस कारण ग्रामीण विकास की अवधारणा को एक नई दिशा प्रदान हुई। शैक्षणिक स्तर पर विभिन्न योजनाएं छात्रवृत्तियां मध्यान भोजन आंगनबाड़ी प्रोग्राम इत्यादि। इसी क्रम में सामाजिक विकास हेतु विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाएं जैसेवृद्धावस्था पेंशन योजना आकाशमिक दुर्घटना पर सहायता राशि इत्यादि। स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जैसे महिला प्रसूति योजना बालिका समृद्धि योजनाएं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और विभिन्न प्रकार के स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य शिविर।

स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल स्वच्छता कार्यक्रम सड़क एवं नालियों का निर्माण वृक्षारोपण कार्यक्रमविद्युतएवं प्रकाश की व्यवस्था मनरेगाके माध्यम से स्थानीय रोजगार खाद्य वितरण

ISSN: 2347-2979

व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से आवास निर्माण और अन्य विकास की योजनाओं का स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है इससे ग्राम पंचायतों के गठन और क्रियान्वयन की सार्थकता सिद्ध हो रही है तथा ग्रामीण विकास को मध्यप्रदेश में नए आयाम प्राप्त हो रहे हैं ।यह सच है कि भ्रष्टाचार राजनीतिक व्यवधान इत्यादि समस्याएं आती रहती है लेकिन ग्रामीण विकास अपना मूर्त रूप ले रहा है।

निष्कर्ष-

स्थानीय शासन विशेषकर ग्राम पंचायतों के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों का वास्तविक आधार पर सफल होनान की संविधानिक प्रावधानउपलब्ध कराना। संवैधानिक प्रावधान भी अति आवश्यक है लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज के सफल संचालन के लिए उनको प्रशासनिक आर्थिक सहायता भी आवश्यक है।

मध्य प्रदेश , देश का प्रथम राज्य है जिसने 73वें एवं 74 वे संविधान संशोधन के प्रावधान को वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया। ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि पंचायतों का सफल क्रियान्वयन और पंचायतों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाएं जो ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है उनको प्रशासनिक आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाए।

केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है वह पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित हो रही है इन सामाजिक व आर्थिक योजनाओं को मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत तथाजिला पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है ताकि स्थानीयजरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सहायताएवं रोजगार प्रदान किया जा सके ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में कम लागत आती है तथा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है।

ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना आवश्यक है क्योंकि स्थानीय समस्याएं वह स्थानीय आवश्यकताओं की समझ स्थानीय लोगों को ज्यादा होती है कोई भी संस्था जब तक सफल नहीं हो सकती तब तक उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती। ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार तो काफी दिए गए आवश्यकता हेउनकी कार्यप्रणाली में सुधार व पारदर्शिता लाने की। ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए गांव का शैक्षणिक विकास आवश्यक है।

ISSN: 2347-2979

ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यप्रदेश में विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा गांव के अन्य आवश्यक विकास कार्यों को पूर्ण किया जाता है।योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जाए तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि भ्रष्टाचार को काबू में करते हुए ग्राम पंचायतों को स्वच्छंद विचरण ग्रामीण विकास हेतु करनेदियाजाए।

निष्कर्ष रूप में ग्राम पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का सबसे छोटा पहिया वह विकेंद्रीकरण का अंतिम बिंदुहै अनेक प्रकार की समस्याएं आने के बावजूद संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत है मध्यप्रदेश में विकास के पहियों को गति देने में कामयाब हो रही है। मध्य प्रदेश के विकास में योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों का कार्य उल्लेखनीय है समस्याएं सब जगह रहती है लेकिन समाज को गांव को और मध्य प्रदेश को यह पंचायतें एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रही है।

संदर्भ:

1. वाजपेई अशोक-पंचायती राज एंड रूलर डेवलपमेंट साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली 1997
2. कोठारी रजनी-पॉलिटिक्स इन इंडिया ओरियंटेशन नई दिल्ली 1970
3. सिसोदिया यतेंद्र सिंह-मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन 1996
4. जोशीआरपी-कांस्टीट्यूशनलाइजेशन आफपंचायत राज रावत पब्लिकेशंस जयपुर 1997

ISSN: 2347-2979

दस्तावेज

1. निर्मला बुच-पंचायत आफ्टरदे 73 अमेंडमेंट इंस्टीट्यूशन इन मध्य प्रदेश महिला चेतना मंच भोपाल दिसंबर 1996
2. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली 1994

पत्र पत्रिकाएं

1.पंचायिका। मध्यप्रदेश शासन की मासिक पत्रिका संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण संचनालय की ओर से प्रकाशित भोपाल

2. मध्यप्रदेश राजपत्र अवधारणा मध्यप्रदेश शासन भोपाल

3. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण भोपाल

4. इंडिया टुडे ,कुरुक्षेत्र

प्रस्तुतकर्ता
डॉ महेंद्र कुमार सिरोही
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय रहट्गाव जिला हरदा म.प्र.